सार्वजनिक सूचना

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति
(पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)

पीएसीएल लि. की संपत्तियाँ खरीदने और/या उनमें लेनदेन करने के इच्छुक खरीदारों / आम निवेशकों / आम जनता को पीएसीएल लि. की संपत्तियाँ खरीदने और/या उनमें लेनदेन करने के संबंध में आगाह करना

1. आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, सिविल अपील सं. 13301/2015 [जो सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और दूसरे संबंधित मामलों से संबंधित थी] के संबंध में पारित किए गए तारीख 2 फरवरी, 2016 के आदेश का पालन करते हुए, सेबी द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा (भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति) की अध्यक्षता में एक समिति (जिसका उल्लेख यहाँ आगे "समिति" के रूप में किया गया है) का गठन किया गया था, ताकि पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री आदि की जा सके और बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से निवेशकों को भुगतान किया जा सके ।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जब्त की गई पीएसीएल लि. की संपत्तियों के दस्तावेज भी समिति को सौंप दिए गए हैं, जिनकी सूची समिति के वेबसाइट (अर्थात् www.sebipaclauction.com और www.sebipaclproperties.com) पर दी हुई है ।

3. इस संबंध में, यह फिर से सूचित किया जाता है कि तारीख 2 फरवरी, 2016 के उपरोक्त आदेश के अनुसार, पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री करने के लिए या उन संपत्तियों की बिक्री करने के लिए केवल समिति को ही प्राधिकृत किया गया है जिनमें पीएसीएल लि. या उसके सहयोगियों (एसोसिएट) / उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज़) का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई हित / अधिकार हो ।

4. समिति को यह पता चला है कि मैसर्स सनलैंड प्रापर्टीज़ प्रा. लि. यह अफवाह फैला रही है कि उसे सेबी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और पूरे तमिलनाडु में स्थित पीएसीएल लिमिटेड की भूमि / संपत्तियों की बिक्री का ठेका उसे दे दिया गया है ।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति ने किसी भी व्यक्ति / एंटिटी (फिर चाहे वह मैसर्स सनलैंड प्रापर्टीज़ प्रा. लि. ही क्यों न हो) को पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री आदि करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है । साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति / एंटिटी पीएसीएल लि. की संपत्तियों को गैरकानूनी और अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में लेने का कोई प्रयास करता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, आम जनता को फिर से आगाह किया जाता है कि वे पीएसीएल लि. की संपत्तियों को या उन संपत्तियों को खरीदते समय / उनमें लेनदेन करते समय सावधानी बरतें जिनमें पीएसीएल लि. या उसकी सहयोगी (एसोसिएट) कंपनियों / उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज़), का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई हित / अधिकार हो । पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए समिति की ओर से जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं और प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें, जो सेबी के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर उपलब्ध हैं ।

मुंबई
05 जनवरी, 2024 **नोडल अधिकारी-सह-सचिव**